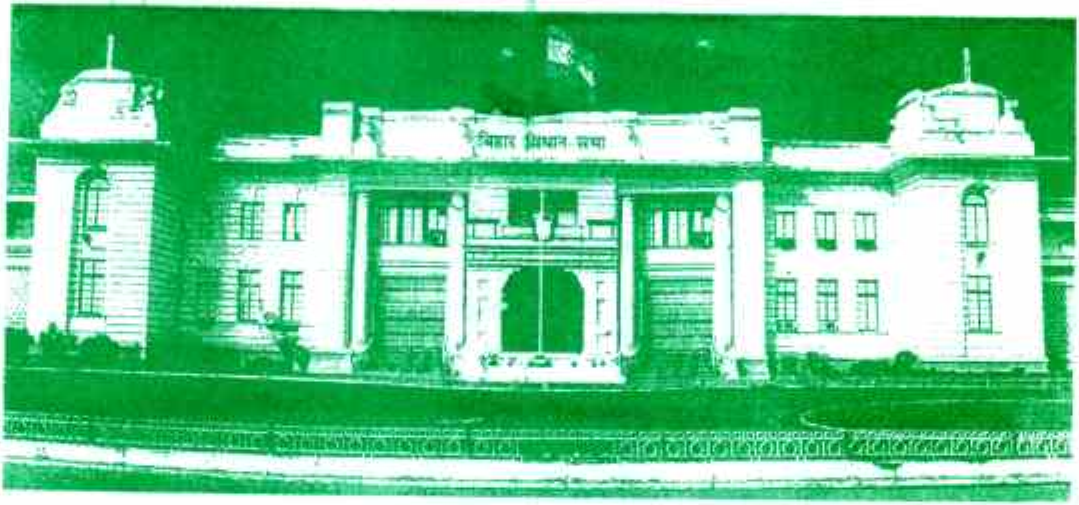

पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 बृहस्पतिवार, दिनांक- 06 अगस्त, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.02 बजे पूर्वा० तक ।

''सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वे अपनी सीट पर बैठें किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई । ''

(भोजनावकाश के बाद)

(2.00 बजे अप० से 2.08 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] **वित्तीय कार्य :-**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की माँग (कृषि विभाग) पर वाद विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री कृषि विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन से माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं डा० अच्युतानन्द को उनके द्वारा दिये गये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नाम पुकारा गया, लेकिन वे लोग अनुपस्थित रहें और कटौती प्रस्तुत नहीं किया गया ।

''इस दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नन्द किशोर यादव द्वारा अविनाश कुमार की हत्या पर सरकार से वक्तव्य की माँग की गई ।''

माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि सरकार इस विषय पर कल सदन में वक्तव्य देगी। परन्तु भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हुए और सदन में शोरगुल व्याप्त रहा तथा सभा की बैठक 4.50 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई।

<u>स्थगनोपरांत</u>

(4.50 बजे अप० से 05.15 बजे अप० तक सदन की कार्यवाही चली)

माननीय प्रभारी मंत्री कृषि विभाग द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी माँग को लेकर सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण सदन से बहिर्गमन कर गए।

''आसन से घोषणा की गई कि कल के कार्य सूची में पटना में हुई हत्या पर सरकार के जवाब का समय निर्धारित कर दिया जायेगा।''

इसी दौरान मा० सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि द्वारा सदन में किए जा रहे तोड़-फोड़ एवं अमर्यादित व्यवहार को देखते हुए आसन द्वारा उन्हें सदन से मार्शल आउट किये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार के प्रस्ताव पर मा० सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि को कल दिनांक 07.08.2015 तक के लिए सदन से निलंबित किया गया तथा आसन से यह भी घोषणा की गई कि इन्हें विधान सभा की समिति से हटा दिया जाय।

सदन द्वारा कृषि विभाग से संबंधित अनुदान की माँग स्वीकृत हुई। तत्पश्चात् वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक की शेष अनुदान की माँगें मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ।

[2] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> :-

(i) <u>''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015''</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[3] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 16 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जाएँगे।

तदुपरांत सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-07 अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गई।

पटना
दिनांक-06 अगस्त, 2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय

विवरणिका

संसदीय नियम एवं परम्पराओं के विरूद्ध सदन के माईक एवं एयरफोन तोड़ने, कुर्सी एवं टेबुल पटकने तथा सदन की मर्यादा उल्लंघन करने के कारण माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा सदन में दिए गए प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकृति के पश्चात् श्रीमती ज्योति रश्मि, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-212, डिहरी को पंचदश बिहार विधान सभा के सप्तदश सत्र की शेष अवधि के लिए दिनांक-06.08.2015 से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63 (3) एवं (4) के अंतर्गत निलंबित किया गया है । साथ ही, बिहार विधान सभा की महिला एवं बाल विकास समिति से उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की गयी है । इसके फलस्वरूप श्रीमती ज्योति रश्मि अब महिला एवं बाल विकास समिति की सदस्य नहीं रहेंगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
06.8.15
(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक :- वि०स०(का०)-02/2010- 1418 वि०स०, पटना, दिनांक- 6/8/15
प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा, पटना / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना / माननीय मंत्रिगण, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

06.8.15
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक :- वि०स०(का०)-02/2010- 1418 वि०स०, पटना, दिनांक- 6/8/15
प्रतिलिपि:- श्रीमती ज्योति रश्मि, सदस्य, बिहार विधान सभा, पटना / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

06.8.15
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक :- वि०स०(का०)-02/2010- 1418 वि०स०, पटना, दिनांक- 6/8/15
प्रतिलिपि:- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

अवर सचिव, 6.8.15
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक :- वि०स०(का०)-02/2010- 1418 वि०स०, पटना, दिनांक- 6/8/15
प्रतिलिपि:- सभी उप सचिवगण एवं अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव, 6.8.15
बिहार विधान सभा, पटना ।

6/8/15